



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 12, शक 1932

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-420-2010-5-एक.—श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे (2008), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरोंज, जिला विदिशा  
को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन सहायक कलेक्टर,  
भोपाल पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-411-2010-5-एक.—(1) भारत सरकार में  
प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री आर. रामानुजम् भाप्रसे (1979) को  
अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ  
अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री आर. रामानुजम्, भाप्रसे (1979) द्वारा  
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन)  
नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में  
ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-430-2010-5-एक.—श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990) आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता  
संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी  
आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति  
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. एस.  
दाणी, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा,

आयुष विभाग को दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आई. एस. दाणी की अवकाश की अवधि में श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. एस. दाणी को अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आई. एस. दाणी, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती मधु हाण्डा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री आई. एस. दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. एस. दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-793-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री संजय गोयल, आयएएस, कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संजय गोयल की अवकाश की अवधि में श्री मालसिंह भयड़िया, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गोयल को अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मालसिंह भयड़िया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-794-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री रघुराज एम. आर. आयएएस., कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 29 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2010 तक अट्ठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 नवम्बर एवं 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश की अवधि में श्री अर्जुन सिंह डाबर, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अर्जुन सिंह डाबर, कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-733-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5, 17, 18, एवं 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता की अवकाश की अवधि में श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, राप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता द्वारा कलेक्टर जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-316-2010-5-एक.—डॉ. राजन एस. कटोच, भाप्रसे (1979), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं परिवहन विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है।

क्र. ई-1-316-2010-5-एक (ए).—श्री अशोक दास, भाप्रसे (1978), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं परिवहन विभाग पदस्थि किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-423-2010-5-एक.—मसूरी में प्रशिक्षण से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भाप्रसे (2000), की सेवाएं अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर परियोजना, संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर नियुक्ति के लिये स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी जाती है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुनीता त्रिपाठी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II (बी) में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-87-2010-5-एक.—श्री प्रवेश शर्मा, भाप्रसे (1982), आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकरिता विभाग के अन्तर्गत, मैनेजिंग डायरेक्टर, लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ (एस. एफ. ए. सी.) नई दिल्ली के पद पर 05 वर्ष के लिये नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है।

क्र. ई-1-87-2010-5-एक.—डॉ. लवलीन कक्कड़, भाप्रसे (1979), विशेष आयुक्त (समन्वयक), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. ई-5-713-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अरुण कुमार पाण्डे, आयएएस, आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन सचिव, सहकारिता विभाग को दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार पाण्डे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरुण कुमार पाण्डे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कुमार पाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 22 से 29 नवम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश की अवधि में श्री आर. के. जैन, राप्रसे, अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. जैन, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. ई-5-40-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री अवनि वैश्य, आयएएस, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 15 से 23 नवम्बर 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अवनि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. राय, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री अवनि वैश्य द्वारा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राय, आयएएस, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाशकाल में श्री अवनि वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवनि वैश्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-444-2010-5-एक.—श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ, आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अलका उपाध्याय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. एफ 6-1-2005-1-9.-शुद्धि-पत्र.—स्थानांतरण के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 9 अगस्त, 2005 के संदर्भ में दर्शाये परिपत्र दिनांक

03 मई, 2005 के स्थान पर दिनांक 10 मई, 2005 पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अकीला हशमत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्र. ई- 5-290-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2010 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उसके स्थान पर अब उन्हें दिनांक 15 से 21 अक्टूबर 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-797-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री पी. जी. गिल्लौरै, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 14 से 26 अक्टूबर 2010 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. जी. गिल्लौरै को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पी. जी. गिल्लौरै को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. जी. गिल्लौरै अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्र. ई- 5-854-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त स्थान पर अब उन्हें दिनांक 27 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश एवं

6 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-762-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग को दिनांक 10 से 18 नवम्बर 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव.

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 5-25-97-उन्नीस-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-25-97-उन्नीस-2, दिनांक 18 दिसम्बर 2009 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2010 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा उक्त परिषद् में निम्नलिखित 5 सदस्यों को और शामिल करता है जो निम्नानुसार हैं:—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)

1. डॉ. लाल बहादुर सिंह चौहान 10/2 ज्योति सदस्य  
कुंज चाणक्यपुरी, एशबाग, भोपाल  
मो. 9425138345 (उपभोक्ता सेवा  
कल्याण परिषद्, भोपाल.)

	(1)	(2)	(3)
2.	श्री महेन्द्र सिंह पैवार प्लाट नं. 7, प्रेस कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल मो. 9424413240 (तत्पर भारती कल्याण समिति भोपाल)		सदस्य
3.	श्री अंजनी कुमार झा, एफ 108/48, शिवाजी नगर, भोपाल. मो. 9425303668 (सामाजिक कार्यकर्ता)		सदस्य
4.	श्रीमती संगीता सक्सेना, एम. 322, गौतम नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल (उपभोक्ता संरक्षण कल्याण सेवा समिति भोपाल)		सदस्य
5.	श्री रविसेन जैन, 309/34 आदर्श नगर, भिण्ड. मो. 9425127038 (सामाजिक कार्यकर्ता)		सदस्य

उक्त उपभोक्ता संरक्षण परिषद् मध्यप्रदेश का कार्यकाल समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2009 की कंडिका 2 अनुसार रहेगा।

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 5-8-2007-उन्नीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

अनु. क्र. न्यायिक अधिकारी का जिला उपभोक्ता फोरम

- श्री आनन्द मोहन खेरे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, खण्डवा
- श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सतना
- श्री लालजी प्रसाद शर्मा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, होशंगाबाद.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ललित दाहिमा, उपसचिव.

**खनिज साधन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2010**

क्र. 2-10-2004-बारह-1.—मेसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जिला बैतूल एवं छिन्दवाड़ा में कोल बेड मीथेन गैस की खोज हेतु पेट्रोलियम ऐक्सप्लोरेशन लाइसेन्स के तहत् धारित 714 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का परिस्थापन किया गया है। इस क्षेत्र को राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
A	22°19'40"	77°52'58"
B	22°19'04"	78°01'44"
C	22°17'10"	78°01'44"
D	22°17'07"	78°09'18"
E	22°15'32"	78°08'36"
F	22°13'16"	78°08'16"
G	22°13'19"	77°12'09"
H	22°14'31"	78°15'00"
I	22°15'23"	78°20'07"
J	22°15'52"	78°25'00"
K	22°16'05"	78°28'36"
L	22°19'08"	78°40'03"
M	22°20'23"	78°57'40"
N	22°18'22"	78°57'37"
O	22°15'32"	78°47'40"
P	22°15'10"	78°39'15"
Q	22°15'06"	78°31'48"
R	22°14'21"	78°27'51"
S	22°14'08"	78°21'10"
T	22°13'32"	78°17'30"
U	22°13'00"	78°12'12"
V	22°11'38"	78°07'16"
W	22°09'50"	78°03'47"
X	22°09'47"	78°01'41"
Y	22°09'57"	77°59'56"
Z	22°10'03"	77°57'51"
A'	22°10'45"	77°58'12"
B'	22°11'44"	77°57'33"
C'	22°11'24"	77°57'12"
D'	22°12'01"	77°54'36"
E'	22°14'24"	77°57'26"
F'	22°14'57"	77°57'09"
G'	22°15'20"	77°55'07"
H'	22°15'16"	77°54'04"
I'	22°15'26"	77°53'01"
A	22°19'40"	77°52'58"

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानवित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, “खनिज भवन”, 29-ए, अरेगा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. के. तोमर, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. 2-10-2004-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 18 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. के. तोमर, उपसचिव.**

Bhopal, the 18th November 2010

No 2-10-2004-XII-1.—The State Government hereby declare throw open an area of 714 Km<sup>2</sup> in Chhindwara & Betul districts which was previously held by M/s Oil & Natural Gas Commission Limited Under Petroleum Exploration License for the investigation of Coal Bed Methane Gas, which has now been relinquished. Details of the relinquished area are as below:—

POINT (1)	LATITUDE (2)	LONGITUDE (3)
A	22°19'40"	77°52'58"
B	22°19'04"	78°01'44"
C	22°17'10"	78°01'44"
D	22°17'07"	78°09'18"
E	22°15'32"	78°08'36"
F	22°13'16"	78°08'16"
G	22°13'19"	77°12'09"
H	22°14'31"	78°15'00"
I	22°15'23"	78°20'07"
J	22°15'52"	78°25'00"
K	22°16'05"	78°28'36"
L	22°19'08"	78°40'03"
M	22°20'23"	78°57'40"
N	22°18'22"	78°57'37"
O	22°15'32"	78°47'40"
P	22°15'10"	78°39'15"
Q	22°15'06"	78°31'48"
R	22°14'21"	78°27'51"

POINT (1)	LATITUDE (2)	LONGITUDE (3)
S	22°14'08"	78°21'10"
T	22°13'32"	78°17'30"
U	22°13'00"	78°12'12"
V	22°11'38"	78°07'16"
W	22°09'50"	78°03'47"
X	22°09'47"	78°01'41"
Y	22°09'57"	77°59'56"
Z	22°10'03"	77°57'51"
A'	22°10'45"	77°58'12"
B'	22°11'44"	77°57'33"
C'	22°11'24"	77°57'12"
D'	22°12'01"	77°54'36"
E'	22°14'24" k	77°57'26"
F'	22°14'57"	77°57'09"
G'	22°15'20"	77°55'07"
H'	22°15'16"	77°54'04"
I'	22°15'26"	77°53'01"
A	22°19'40"	77°52'58"

The relinquished area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette". The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

### गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. एफ-1(ए) 266-86-ब-2-दो.—श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2010 तक, कुल छह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 20, 21 एवं 28 नवम्बर 2010 का विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनके दायित्वों का निर्वहन श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, पुलिस महानीरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस

महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, द्वारा, अति. पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप श्री यू.आर. नेताम, भापुसे, पुलिस महानीरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर उक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश ओगरे, अवर सचिव।

### वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. एफ 13-19-10-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्ययंत्र क्रमांक एमपी/4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 सितम्बर 2010 से 12 नवम्बर 2010 तक, 1 माह के लिये छूट देता है:—

1. संदर्भधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1669 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

क्र. एफ 13-20-10-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 3 के वाय्यनंत्र क्रमांक एमपी/3215 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 7 सितम्बर 2010 से 6 अक्टूबर 2010 तक, 1 माह के लिये छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1669 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत कुमार व्यास, अपर सचिव।

## संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्र. 1561-एफ(3)14-2010-दो-अड़तालीस.—राज्य शासन, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल की नियमावली के नियम 5(अ) के संदर्भ में निम्नलिखित माननीय सदस्यों को संसदीय विद्यापीठ की साधारण सभा का सदस्य मनोनीत करता है :—

क्रमांक	नाम	निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)	(3)

### मध्यप्रदेश से निर्वाचित लोक सभा सदस्य

1	श्री भूपेन्द्र सिंह	सागर
2	श्री राकेश सिंह	जबलपुर
3	श्री प्रेमचन्द्र गुड़ू	उज्जैन

### मध्यप्रदेश से निर्वाचित लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य

1	श्री चन्द्रमणी त्रिपाठी	रीवा
2	श्री हेमन्त खंडेलवाल	बैतूल

### मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य

1	श्री अरविंद सिंह भदौरिया	अटेर
2	श्री देवेन्द्र कुमार जैन (पत्ते वाले)	कोलारस
3	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन	सागर
4	श्री शंकरलाल तिवारी	सतना
5	श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार	मुड़वारा
6	श्री बृजमोहन धूत	खातेगांव
7	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	मन्दसौर
8	श्री आत्माराम पटेल	कसरावद
9	श्री सुखदेव पांसे	मुलताई
10	श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति	गोटेगांव
11	श्री निशिथ पटेल	बहोरीबंद

### मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

1	श्री दुर्गलाल विजय	श्योपुर
2	श्री लालसिंह आर्य	गोहद
3	श्री गुरुचरण सिंह	विदिशा
4	श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल	देपालपुर
5	श्री राजनारायण सिंह पूरनी	निमाड़ खेड़ी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

**जेल विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2010**

क्र. एफ 6-16-2002-तीन.—जेल प्रिजन्स एक्ट 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एटद्वारा, नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगार शाहजहाँनी पार्क, भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर 2010 से दिनांक 2 दिसम्बर 2010 तक के लिए अस्थाई जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**डी. एस. पीटर, उपसचिव.**

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

फा. क्र. 3(बी)1-2007-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एटद्वारा, श्री मुबीन मुहम्मद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश,

वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश का त्याग-पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2010 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.**

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी)-18-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, बड़वानी को नियुक्त किया था।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, बड़वानी की आयु 62 वर्ष की पूर्ण हो जाने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से पद मुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. जे. खान, सचिव.**

### विभाग प्रमुखों के आदेश

**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
सिवनी, मध्यप्रदेश**

सिवनी, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. जि.भू-अर्जन-2010-भू-अर्जन अधिनियम 1894 (संशोधित 1984) की धारा 3 (ग) में यथा परिभाषित अनुसार मैं मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला सिवनी प्रदत्त अधिकारों के तहत् अपर कलेक्टर सिवनी को भू-अर्जन अधिकारी (पदेन कलेक्टर) के कार्य संपादन हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

पूर्व में कार्य विभाजन आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार भू-अर्जन अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शित क्षेत्र हेतु कार्य आवंटित किया जाता है :—

क्र.	भू-अर्जन अधिकारी	आवंटित कार्य क्षेत्र
का नाम		

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

1. अपर कलेक्टर, सिवनी	तहसील सिवनी, कुरई एवं बरघाट के अन्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत् प्रकरणों का निराकरण।
-----------------------	--

- | (1)                                    | (2)   | (3)  |
|--|---|--|
| 2. अनुविभागीय अधि.,<br>सिवनी (ग्रामीण) | 1. वन व्यव. अधि. के तहत् प्रकरणों का निराकरण।                                       | 2. राष्ट्रीय भू-अर्जन अधि. 1956 के तहत् प्रकरणों का निराकरण।                         |
| 3. अनुविभागीय अधि.,<br>लखनादौन।        | 1. वन व्यवस्थापन अधिनियम के तहत् प्रकरणों का निराकरण।                               | 2. राष्ट्रीय भू-अर्जन अधि. 1956 के तहत् प्रकरणों का निरा।                            |
| 4. अनुविभागीय अधि.,<br>घंसौर।          | 3. तहसील लखनादौन, छपारा के अन्तर्गत भू-अर्जन अधि. 1894 के तहत् प्रकरणों का निराकरण। | 3. तहसील घंसौर, धनौरा के अन्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत् प्रकरणों का निराकरण। |
|  | 4. अनुविभागीय अधि.,<br>घंसौर।   | 4. तहसील घंसौर, धनौरा के अन्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत् प्रकरणों का निराकरण। |

(1)	(2)	(3)
5. अनुविभागीय अधि., केवलारी.	1. तहसील केवलारी के अन्तर्गत भू. अ. अधि. 1894 के तहत, प्रकरणों का निराकरण.	

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

## मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. एफ. 67-163-10-तीन-2931.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहपुर जिला बुरहानपुर के आम निर्वाचन में श्री बसंतराव बालकृष्णा, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थें। नगर पंचायत शाहपुर जिला बुरहानपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सावजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, बुरहानपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बुरहानपुर के पत्र क्र.

क-नि.शा.-न.पा.-10-406 दिनांक निरंक फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री बसंतराव बालकृष्णा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बसंतराव बालकृष्णा, को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 2 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बुरहानपुर के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्री बसंतराव बालकृष्णा को नोटिस दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर बुरहानपुर ने अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2010 में लेख किया कि “श्री बसंतराव बालकृष्णा द्वारा आपके कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली के बावजूद आज दिनांक तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है” उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपांत आयोग द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोन्नित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बसंतराव बालकृष्णा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहपुर जिला बुरहानपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता/-

(रजनी उड्के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
अशोकनगर, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-2010-11-230 (1-4).—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	मुंगावली रेलवे स्टेशन के समीप ग्राम महुआखाड़ी की भूमि में रेल विद्युतीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित ट्रैकशन सब-स्टेशन निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन।
अशोकनगर	मुंगावली	महुआखाड़ी	0.650	अधिशासी अभियंता, रेल विद्युतीकरण, कोटा।	

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं संपत्ति का विवरण कार्यालय, कलेक्टर, अशोकनगर तथा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-10-11-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकमा (हेक्टेर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
जबलपुर	मझौली	खुड़ावल न. बं. 163 प. ह. नं. 67	0.05	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा।	मझौली शाखा नगर के दर्शनी डायरेक्ट माइनर की सब-माइनर क्र. 2, के निर्माण हेतु।

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 2, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-10-11-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	उमरिया प. ह. नं. 67 बन्दों. नं. 46	0.16	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	उमर खिडिया माइनर क्र. 1 के निर्माण हेतु।

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2 रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-जबलपुर-सात 1-सात 1.—, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	खैरी प. ह. नं. 57, न. ब. 104.	15.49	उपमहाप्रबंधक पावर ग्रिड, जबलपुर.	765 के. व्ही. पुलिंग स्टेशन निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 4-अ-82-09-01-भू-अ.अ.-जबलपुर-सात 1-सात 1.—, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे उनके अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
जबलपुर	शहपुरा	हीरापुर बंधा प. ह. नं. 57, न. ब. 316,	15.21	उपमहाप्रबंधक पावर प्रिड, जबलपुर.	765 के. व्ही. पुलिंग स्टेशन निर्माण हेतु।

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्र. 7275-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि अधिनियम की धारा 5 “क” के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सिवनी	कुरई	सेटेवानी प. ह. नं. 17/105,	9.99 हेक्टर <sup>अशासकीय भूमि-</sup> रा. नि. मं. कुरई. 1.02 हेक्टर।	उप-महाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, छिंदवाड़ा, म. प्र.	सिवनी-नागपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट का निर्माण।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

सिवनी, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 7577-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सिवनी	कुरई	खेरीकला प. ह. नं. 09, रा. नि. म. बंडोल.	0.28 हेक्टर अशासकीय भूमि शासकीय भूमि- 0 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सिवनी.	कातलबोडी दिघोरी पुसेरा मार्ग में सेतु निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, पदेन कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. 148-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	साड़ा	4.072	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु।

क्र. 150-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	पचोखर	3.788	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 152-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	टकटैया	2.708	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 154-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	हर्दिहा पवार्ड	4.788	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 156-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	हर्दिहा कोठार	1.257	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 158-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	खम्हौनिया कला	3.035	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 160-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	पड़खुरी	2.455	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र.162-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	पतेरी	1.847	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 164-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	रामनगर	7.481	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 166-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	डढिया	4.651	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 168-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	नक्केल	8.619	उप मुख्य अधिकारी (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में निजी भूमि	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	देवपुर	4.380	अनु. अधिकारी (राजस्व), बिजावर	देवपुर तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—देवपुर तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी, कार्यालय राजस्व बिजावर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	जरा	4.830	अनु. अधिकारी (राजस्व), बिजावर	जरा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, बिजावर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	मानकी	0.800	अनु. अधिकारी (राजस्व), बिजावर	खिरिया बुजार्ग तालाब योजना नहर हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजार्ग तालाब योजना हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, बिजावर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	खिरिया खुर्द	12.200	अनु. अधिकारी (राजस्व), बिजावर खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना नहर हेतु भू-अर्जन.	
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है खिरिया तालाब योजना हेतु.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, बिजावर में किया जा सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्दुआ	निजी 26.42 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.49 कुल रकबा 26.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सब्दुआ बांध निर्माण डूब क्षेत्र वेस्ट वियर सिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. 14278-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	सारंगपुर	भीलखेड़ी	3.653	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बड़लावदा तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 11310-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-09- 10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अधिभूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं (हे. में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	बण्डा	ढांड़	22	2.5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.	बम्हौरी जगदीश जलाशय में नहर के निर्माण में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम ढांड़

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—1. बम्हौरी जगदीश जलाशय योजना के बांध ढूब क्षेत्र में  
तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम ढांड़।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11312-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-09- 10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अधिभूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
सागर	बण्डा	बम्होरी जगदीश	123	58.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.	बम्होरी जगदीश जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, स्प्यल चैनल, एप्रोच चैनल एवं नहर में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम बम्होरी जगदीशा.	

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—1. बम्होरी जगदीश जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम बम्होरी जगदीशा.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11313-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-09- 10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अधिभूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
सागर	बण्डा	मझगुंवा	20	3.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.	मंजुला जलाशय योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम मझगुंवा.	

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—1. मंजुला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम मंजुला.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11314-क-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-09- 10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अधिभूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	बण्डा	मंजुला	116	15.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—1. मंजुला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम मंजुला।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

रा. मा. क्र. 02-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 611-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकमा (हेक्ट.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेंदूखेड़ा	हीरापुर नं.बं. 469 प.ह.नं. 24	0.895	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.	गाडरवारा-तेंदूखेड़ा मार्ग के कि. मी. 14/10 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 24 नवम्बर 2010

भू-अर्जन-पत्र क्र. एफ. 08-प्र. क्र. 202-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	मैहर	धूरा	12.690	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 7, सतना.	झण्डा, माझनर, नागौद, सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-पत्र क्र. एफ. 08-प्र. क्र. 203-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	उचेहरा	खोह	13.303	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 7, सतना.	नागौद, सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-भू.अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम—जुझारी प. ह. नं. 47, नं. बं. 271
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेर.

खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेर.
(1)	(2)
220/1	0.03
220/3	0.03
219/2	0.04
योग . .	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जुझारी उमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सागर परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

धार, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. 15472-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धार
- (ग) ग्राम—सागौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.198 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
------------------	--------------------------

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
1138/3/3	0.073
1138/3/4	0.125
योग . .	<u>0.198</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो एस्टिंग ट्रेक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 15477-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धार
- (ग) ग्राम—कल्याणसीखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.115 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/2	0.023
21/2	0.050
23/1/1/2	0.021
23/1/2	0.010
23/5	0.011
योग . .	<u>0.115</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 15482-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धार
- (ग) ग्राम—खण्डवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.327 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
195/1/2	0.166
365/2	0.055
366/2	0.106
योग . .	<u>0.327</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 15487-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धार
- (ग) ग्राम—सुहागपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.233 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63/1	0.196
61	0.037
योग . .	<u>0.233</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 15492-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—आंसूखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.725 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
86/3	0.011
88/3	0.209
93/1	0.055
94/1	0.013
95/1	0.110
98/5	0.100
99/4	0.098
110/1	0.050
114/2/1	0.079
योग .	0.725

(1) (2)

75/2 0.069

139/1 0.120

139/2 0.225

140/1 0.090

योग . 0.589

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित होने से.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्र. 558-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—हनुमन

(ग) ग्राम—पहाड़ अर्जुनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.589 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63/1	0.016
64	0.041
75/1	0.028

खसरा नम्बर रकबा हेक्टर.

(1) (2)

72, 73, 69/2, 140, 138 1.481

76/2 0.210

76/1 0.061

(1)	(2)
84	2.153
85, 98/2, 122	10.348
86, 87, 146, 147, 150,	2.141
154/1	
89/4	0.126
89/5	0.567
89/6	0.162
89/7	0.121
98/1, 130	1.380
99/1	1.003
100/1, 101/1	0.265
101/2	0.243
115/2, 121/2	0.716
123, 128/2	2.951
126	0.097
127/2	0.389
127/3	0.223
127/4	0.162
127/5	0.020
132, 153/1	2.140
137/1	0.121
148, 152/2	0.405
152/1	0.251
153/2, 106/2	1.044
154/3	0.405
129	3.889
70, 71, 83/1	1.129
कृषकों की भूमि का योग	<u>34.203</u>
म. प्र शासन की भूमि	
82, 83/2, 89/2, 99/2,	5.925
106/1, 115/1, 120,	
121/1, 131, 139,	
141, 149	
कुल योग कृषक भूमि+	<u>40.128</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पननारी बांद निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. 561.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत  
(ग) ग्राम—रतहरा  
(घ) क्षेत्रफल—0.599 हेक्टेर.

## खसरा नम्बर क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

0.599

2.052   2.201   2.024   2.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा बाइपास निर्माण कार्य में।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पुदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

राजस्व प्र. क्र. 5-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को  
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद  
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के  
अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की  
उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—खकनार		(1)	(2)
(ग) ग्राम—परेठा, दैयत		199/1	0.05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.49, 8.26 हेक्टेयर.		198/3	0.03
खसरा नम्बर	रकबा हेक्टे.		
(1)	(2)		
ग्राम-परेठा			
265/1	0.27	13/1	0.13
290	0.29	197	0.26
291	0.51	193	0.17
301/1	0.06	26	0.36
301/3	0.36	30/1	0.16
योग . .	<u>1.49</u>	30/2	0.16
ग्राम-दैयत		31/1	0.13
5/1	0.21	31/2	0.30
5/2	0.16	32/2	0.23
3	0.41	41	0.33
9	0.41	48/2	0.16
10/1	0.20	42/2	0.16
2/2	0.21	49/2	0.16
23	0.24	183/2	0.08
24	0.24	183/3	0.08
26	0.11	186/1	0.10
61/1	0.10	186/2	0.09
61/2	0.09	185/1	0.06
61/3	0.06	146/1	0.04
7/1	0.15	185/2	0.06
7/2	0.15	183/4	0.06
217	0.06	184	0.11
14/1	0.06	50/5	0.18
216	0.06	145/1	0.05
14/3	0.06	144/1	0.06
215	0.06	176	0.19
14/2	0.06	147	0.08
214	0.06	योग . .	<u>9.75</u>
14/4	0.06		
213	0.06		
212/1	0.11		
212/2	0.11	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—साजनी तालाब योजना के नहर हेतु ग्राम परेठा दैयत से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.	
201	0.12		
202/2	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है	
202/1	0.05		
203	0.10		
12	0.18	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-03(अ-82)2008-09-(संशोधित  
अधिसूचना).—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो  
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,  
अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये  
आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्  
1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता  
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—निवास
- (ग) ग्राम—कापा (चकदेही) प. ह. नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.46 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
286/1	0.01
288/2	0.01
289	0.01
368	0.10
379/2	0.02
379/4	0.01
286/2	0.01
288/3	0.01
266	0.08
375/2	0.05
493/3	0.01
288/1	0.02
288/4	0.02
367/1	0.07
379/1	0.02
379/3	0.01
योग . .	0.46

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कापा (चकदेही) जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्र. 918-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)  
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक  
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम,  
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके  
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन  
के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
- (ख) तहसील—इन्दौर
- (ग) नगर/ग्राम—कम्पेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.433 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2195 पार्ट	0.150
2196 पार्ट	0.260
2598 पार्ट	0.400
2604 पार्ट	0.280
2653 पार्ट	0.283
2674 पार्ट	0.060
योग . .	1.433

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नाबांड योजना के अंतर्गत गंगानाला तालाब एवं गंगानाला तालाब की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

पृ. क्र. 07अ-82 वर्ष 2009-10-पत्र क्र. 31-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया

है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनसुची

(1) भूमि का वर्णन—	138/1	0.012
	योग . .	2.308

(क) जिला—नरसिंहपुर

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
 (ख) तहसील—गाडरवारा  
 (ग) नगर/ग्राम—दहलवाड़ा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.308 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि के नवाशे (प्लान) का निरीक्षण, भ-अर्जन कार्यालय

खसरा क्रम

## अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
6/1	0.152
7/1	0.104
7/2	0.044
8	0.120
82	0.006
83/1क	0.041
83/1ख	0.040
80/1ख	0.084
83/2, 84	0.077
86	0.072
85	0.032
87/1	0.048
87/2	0.048
88/1, 91/1-क	0.048
93/3, 92/2-क	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

---

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 011-अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
 (ख) तहसील—रैपुरा  
 (ग) ग्राम—माधौपुरा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—22.69 हेक्टरेराह

		खसरा नम्बर	अर्जित रकम (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
99/1	0.032			
102	0.24			
99/2	0.008	(1)	(2)	(3)
127/1	0.060	12/2क	0.33	निजी भूमि
127/2	0.040	26/1	0.06	निजी भूमि
100/1	0.024	27/2	0.16	निजी भूमि
103/1	0.144	28/2	0.14	निजी भूमि
103/2, 169/2	0.144	15/1	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12/2ग	0.34	निजी भूमि	372/2	0.10	निजी भूमि
554	0.05	निजी भूमि	374	0.15	निजी भूमि
12/2ख	0.33	निजी भूमि	376/2	0.03	निजी भूमि
16	0.22	निजी भूमि	377	0.03	निजी भूमि
25	0.39	निजी भूमि	378	0.04	निजी भूमि
17	0.22	निजी भूमि	361	0.06	निजी भूमि
19	0.08	निजी भूमि	362	0.07	निजी भूमि
20	0.04	निजी भूमि	365	0.05	निजी भूमि
22	0.32	निजी भूमि	366/1	0.15	निजी भूमि
23	0.08	निजी भूमि	369	0.06	निजी भूमि
24	0.09	निजी भूमि	370	0.07	निजी भूमि
26/2	0.06	निजी भूमि	371	0.11	निजी भूमि
27/1	0.35	निजी भूमि	372/1	0.23	निजी भूमि
553	0.07	निजी भूमि	373	0.08	निजी भूमि
12/2ग	0.33	निजी भूमि	375	0.03	निजी भूमि
26/3	0.05	निजी भूमि	376/1	0.01	निजी भूमि
28/1	0.14	निजी भूमि	379	0.15	निजी भूमि
62/1	0.12	निजी भूमि	380	0.10	निजी भूमि
62/2	0.60	निजी भूमि	477	0.35	निजी भूमि
549	0.05	निजी भूमि	547	0.06	निजी भूमि
485	0.04	निजी भूमि	546	0.05	निजी भूमि
649/5	0.40	निजी भूमि	480	0.10	निजी भूमि
62/3	1.00	निजी भूमि	481	0.08	निजी भूमि
62/4	1.80	निजी भूमि	486	0.08	निजी भूमि
62/5	1.00	निजी भूमि	505	0.11	निजी भूमि
62/6	1.60	निजी भूमि	504	0.04	निजी भूमि
62/7	1.20	निजी भूमि	490	0.08	निजी भूमि
62/8	0.45	निजी भूमि	491	0.08	निजी भूमि
62/9	0.50	निजी भूमि	492	0.08	निजी भूमि
62/12	0.50	निजी भूमि	493	0.05	निजी भूमि
35	0.49	निजी भूमि	494	0.06	निजी भूमि
359	0.19	निजी भूमि	495	0.06	निजी भूमि
360	0.05	निजी भूमि	496	0.06	निजी भूमि
363	0.07	निजी भूमि	497	0.05	निजी भूमि
364	0.03	निजी भूमि	499	0.05	निजी भूमि
366/2	0.14	निजी भूमि	548	0.05	निजी भूमि
367	0.03	निजी भूमि	498	0.70	निजी भूमि
368	0.04	निजी भूमि	501	0.07	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
506	0.11	निजी भूमि	68/1	0.29	निजी भूमि
649/2	0.70	निजी भूमि	22	0.07	निजी भूमि
649/3क	0.35	निजी भूमि	23	0.24	निजी भूमि
649/3ग	0.80	निजी भूमि	25	0.03	निजी भूमि
649/4	1.21	निजी भूमि	26	0.40	निजी भूमि
649/7	0.30	निजी भूमि	28	0.03	निजी भूमि
650	0.03	निजी भूमि	29	0.24	निजी भूमि
651	1.24	निजी भूमि	30	0.28	निजी भूमि
652	0.29	निजी भूमि	31	0.02	निजी भूमि
योग . .	<u>23.02</u>		33	0.38	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पटी तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 013-अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—रैपुरा
- (ग) ग्राम—रैपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—21.71 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
			68/2	0.50	निजी भूमि	70	0.07	निजी भूमि
(1)			71	0.37	निजी भूमि	72	0.08	निजी भूमि
12	0.37	निजी भूमि	73	0.26	निजी भूमि	74	0.17	निजी भूमि
21	0.59	निजी भूमि	76	0.05	निजी भूमि	78	0.04	निजी भूमि
14	0.06	निजी भूमि	139	0.58	निजी भूमि	141	0.18	निजी भूमि
15	0.43	निजी भूमि						
18	0.06	निजी भूमि						
20	0.55	निजी भूमि						
19/2	0.47	निजी भूमि						

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
80	0.81	निजी भूमि	113	0.18	निजी भूमि
81	0.02	निजी भूमि	115/1	1.25	निजी भूमि
82	0.18	निजी भूमि	117	0.07	निजी भूमि
86/1	0.07	निजी भूमि	121/2	0.83	निजी भूमि
87/1	0.11	निजी भूमि	122/1	0.04	निजी भूमि
88/1	0.01	निजी भूमि	123	0.13	निजी भूमि
86/2	0.07	निजी भूमि	122/2	0.52	निजी भूमि
87/2	0.10	निजी भूमि	154	0.05	निजी भूमि
88/2	0.01	निजी भूमि	122/3	0.45	निजी भूमि
89	0.18	निजी भूमि	142	0.05	निजी भूमि
90	0.15	निजी भूमि	144	0.07	निजी भूमि
91	0.02	निजी भूमि	145	0.09	निजी भूमि
92/4	0.13	निजी भूमि	146	0.06	निजी भूमि
92/2	0.13	निजी भूमि	147	0.04	निजी भूमि
101	0.15	निजी भूमि	134	0.33	निजी भूमि
92/3	0.13	निजी भूमि	135	0.07	निजी भूमि
94	0.13	निजी भूमि	136	0.18	निजी भूमि
96	0.09	निजी भूमि	137	0.20	निजी भूमि
100	0.28	निजी भूमि	138	0.20	निजी भूमि
107	0.07	निजी भूमि	140	0.12	निजी भूमि
108	0.12	निजी भूमि	143	0.07	निजी भूमि
109/1	0.01	निजी भूमि	148	0.22	निजी भूमि
97	0.06	निजी भूमि	योग . .	21.71	
98	0.05	निजी भूमि			
104	0.02	निजी भूमि			
105	0.17	निजी भूमि			
106	0.20	निजी भूमि			
109/2	0.01	निजी भूमि			
99/1	0.09	निजी भूमि			
120/1/2	0.46	निजी भूमि			
99/2	0.04	निजी भूमि			
120/2	0.24	निजी भूमि			
99/3	0.04	निजी भूमि			
120/3	0.24	निजी भूमि			
102	0.37	निजी भूमि			
103	0.03	निजी भूमि			
110	0.16	निजी भूमि			
118/2	1.00	निजी भूमि			
111/2	0.80	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कोहा डोल तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 11299-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—देवरी
- (ग) ग्राम—समनापुर प. ह. नं.-90
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—33.18 हेक्टेयर

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.36
45/2	0.37
47/1	8.07
47/2	0.37
48	0.68
50	0.25
52	0.51
59	0.31
62	0.50
64/1	0.40
64/2	1.91
64/3	0.95
65/1	0.78
65/237	0.18
68	12.99
73	1.74
77	0.04
78	0.51
81	0.39
84	1.45
146/239	0.25
147	0.16
153/1	0.01
योग . .	<u>33.18</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11300-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—केसली
- (ग) ग्राम—जमुनिया चिखली प. ह. नं.-46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—26.99 हेक्टेयर

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194	0.18
235	0.25
237	0.40
250/1	0.34
250/2	0.30
238	0.66
239	1.20
240/1	0.50
243/3	0.35
243/4	0.25
240/2	0.51
241/1	1.12
241/2	0.93
252/1	0.11
293/1	0.27
252/3	0.29
252/4	0.18
252/5	0.16
293/2	0.60
293/3	0.60
293/4	0.22
293/492	0.86
252/6	0.12
294/5	0.10
259	0.20
294/1	0.24
249	0.26

(1)	(2)	क्र. 11303-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
242	0.68	अनुसूची
242/489	0.59	
248	0.54	
243/1	0.71	(1) भूमि का विवरण —
243/2	0.11	
244	0.06	
246	0.90	(क) जिला—सागर
247	1.27	(ख) तहसील—देवरी
249/490	0.24	(ग) ग्राम—षटगावां, प. ह. नं.-24
287	0.12	(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.64 हेक्टेयर
251	0.75	
254	1.51	खसरा नंबर में से
252/2	0.28	रकबा (हेक्टेयर में)
255	0.39	
256	0.06	(1) (2)
257	0.34	66/3 0.04
258	0.40	66/7 1.18
294/2	0.24	79 0.40
294/3	0.24	82 0.76
294/4	0.24	71 1.29
294/6	0.77	81 0.44
260	0.26	72 1.85
261	0.15	73/1 0.74
262	0.05	73/2 0.96
288/2	0.02	73/3 0.26
288/1	0.36	77 0.87
288/3	0.79	75/89 0.02
289	0.96	75 1.21
292/1	0.27	76/2 0.60
292/2	0.13	76/3 0.45
295/1	0.20	76/1 0.45
295/2	1.70	74 0.35
299	0.09	78 0.40
297	0.04	83 0.12
298	0.33	85 0.25
कुल अर्जित भूमि . .		26.99
कुल अर्जित भूमि . .		12.64

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यलय में किया जा सकता है।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यलय में किया जा सकता है।

क्र. 11305-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—केसली
- (ग) ग्राम—सिंगपुर, प. ह. नं.-51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.48 हेक्टेयर

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
203	4.36
205/1	0.82
205/2	1.55
207	1.75
कुल अर्जित भूमि . .	<u>8.48</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11306-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—देवरी
- (ग) ग्राम—सलैया, प. ह. नं.-25

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.33 हेक्टेयर

खसरा नंबर में से	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.11
4	1.96
5/2	0.43
5/1	0.33
9	0.04
10	0.30
68	3.66
69	1.80
70	1.20
71/1	0.93
71/2	1.20
72/1	2.54
73	0.09
72/2	1.42
72/3	1.20
72/4	1.31
72/5	1.31
74	0.50
कुल अर्जित भूमि . .	<u>20.33</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11307-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—देवरी
- (ग) ग्राम—देवरी, प. ह. नं.-71

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.57 हेक्टेयर	(1)	(2)
खसरा नंबर में से                    रकबा (हेक्टेयर में)	208	0.03
(1)    (2)	210/1	0.10
108/1                                      0.52	210/2	
108/2	211/2	1.00
109/1                                    0.20	213/1	0.37
109/4                                    0.20	213/2	0.47
111/3                                    0.14	214/1	0.51
113                                        0.15	214/2	0.51
112                                        0.45	214/3	
124                                        0.48	216	0.37
117                                        0.08	211/1	0.83
118                                        0.35	254	0.50
कुल अर्जित भूमि . . 2.57	255	0.52
	256	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु,	257	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुचिभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.	258/1	0.26
	259	4.15
	261/1	0.36
	261/2	0.36
	263	2.73

क्र. 11308-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	264	2.65
	265	0.16
	266	0.08
	267	2.51
	268/2	1.00
	268/3	1.00
	268/4	1.00
अनुसूची	217	0.65
	218/1	0.23

## (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर	219	0.08
(ख) तहसील—केसली	221/1	0.05
(ग) ग्राम—हिरनपुर, प. ह. नं.-46	221/2	0.07
(घ) लगभग क्षेत्रफल—59.41 हेक्टेयर	223	0.10

खसरा नंबर में से                    रकबा (हेक्टेयर में)	224/1	0.23
(1)                                        (2)	224/2	0.11
176                                        0.04	225/2	0.13
177/2                                    0.64	225/3	0.15
178                                        0.04	228/1	0.11
177/1                                    1.00	229	0.05
177/3                                    0.40	231/2	0.02
207                                        0.39	233/3	0.06

(1)	(2)	अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि
244	0.14	की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
247/1	0.15	
249/2	0.12	
251	0.10	(1) अनुसूची
246/2	0.02	(1) भूमि का विवरण —
252	0.28	(क) जिला—सागर
253	1.22	(ख) तहसील—देवरी
268/5	1.00	(ग) ग्राम—जैतपुर गंगई, प. ह. नं.-24
268/6	1.00	(घ) लगभग क्षेत्रफल—172.89 हेक्टेयर
269	1.10	खसरा नंबर में से रकबा (हेक्टेयर में)
270/1	0.19	(1) (2)
270/2	0.13	48 2.53
271/1	1.09	39 0.13
271/2	1.39	54 2.46
271/3	0.48	55 1.73
272	2.00	56 0.53
273/1	4.40	82 0.06
273/2	0.01	83 0.27
274/1	0.78	92 3.41
274/2	0.81	95 0.02
274/3	0.81	189 0.12
274/4	2.62	96/1 0.37
276	1.62	96/2 1.05
277	2.02	100 1.88
278	0.81	113 0.65
279	1.21	118/2 0.80
280	4.69	119 1.15
281	1.73	178 2.83
कुल खसरा नं. 76	<u>59.41</u>	179 0.71
कुल अर्जित भूमि		180/1 3.89
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के द्वारा क्षेत्र हेतु.		180/2 3.29
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यलय में किया जा सकता है.		181/1 3.29
सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2010		182 0.05
588-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात न हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के		181/2 4.00
		184 0.20
		220 4.49
		185 0.13
		219 0.39
		186 0.13
		191/4 0.04
		232 0.16
		233 0.55
		187/2 0.08
		188 0.13
		190/3 1.04

(1)	(2)	(1)	(2)
190/1	1.15	242/2	1.84
190/2	0.23	242/3	3.05
191/2	0.40	242/9	0.32
191/1	0.39	335/5	0.50
191/3	0.08	335/6	0.16
340/1	1.52	242/1	0.40
191/5	0.08	242/7	3.20
330/1	0.72	242/4	1.22
340/2	0.68	258	0.04
210	1.42	261	0.06
208/4	0.22	335/4	0.06
211	1.98	242/5	0.10
211/346ख	0.48	335/5	0.06
211/343	0.47	242/6	1.21
211/345ख	0.25	242/8	1.60
211/344	1.98	243/1	1.10
211/345 क	0.52	243/2	0.88
211/346क	0.26	248	0.10
211/347	0.80	247	0.08
213	3.83	332	0.02
212	3.46	331/1	1.77
214	6.47	331/3	0.57
215	0.33	245	0.14
221	2.02	252/2	2.19
222	4.85	250	0.91
223	2.02	252/1	2.18
224/1	3.93	331/2	2.02
230	0.85	187/1	0.07
231	0.04	253/1	0.16
224/2	5.10	253/2	0.71
224/3	5.80	254	0.35
224/4	1.10	331/4	0.25
224/342	0.80	255	0.33
226	1.40	257	0.16
234	1.87	302	0.13
239/2	1.59	281	0.27
235	1.82	278	0.06
239/3	0.62	277	0.01
237	1.24	259	0.05
238	1.80	263	0.06
239/1	1.22	270	0.01
240	1.91	260	0.15
241	2.00	336	1.80

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
268	0.03	
266	0.11	
283	0.70	मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर 2010
285	0.15	
286	0.80	क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-01-09-10-प्र.क्र.-01-09-10-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
287	2.52	
288	1.95	
295	1.48	
289	2.96	
294	0.68	
296/1	0.67	
297	0.17	
327/1	0.40	अनुसूची
330/2	1.90	
330/3	1.90	(1) भूमि का वर्णन—
330/4	1.90	(क) जिला—मुरैना
334/1	6.14	(ख) तहसील—मुरैना
334/2	1.62	(ग) ग्राम—पिपरई
334/3	1.20	(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.789 हेक्टेयर
335/1	0.20	
335/2	0.34	सर्वे नं.
290	0.41	(1) (2)
298/2	0.48	1531 0.134
265	0.27	1532 0.041
264	0.06	1525 0.277
303	0.21	1530 0.220
318	0.52	1526 0.250
319	0.04	1545 0.083
327/2	0.04	1529 0.180
325	0.32	1528 0.080
316	0.02	1527 0.070
298/1	0.07	1516 0.630
326	0.02	1518 0.520
कुल खसरा नं.	153	1513 0.208
कुल अर्जित भूमि	172.89	1515 0.370
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु।		1514 0.340
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है।		1507 0.061
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.		1493 0.461
		1500 0.035

(1)	(2)	(1)	(2)
1505	0.370	1660	0.280
1492	0.560	1656	0.340
1494	0.023	1654	0.179
1491	0.308	1655	0.158
1502	0.056	1657	0.340
1489	0.450	1636	0.203
1488	0.090	1634	0.166
1487	0.050	1633	0.040
1490	0.304	1635	0.240
1483	0.456	1603	0.230
1486	0.280	1632	0.143
1078	0.080	1631	0.113
1079	0.300	1630	0.071
1484	0.200	1629	0.320
1482	0.080	1628	0.239
1080	0.180	1604	0.210
1081	0.134	1605	0.240
1082	0.024	1606	0.530
1076	0.034	1610	0.022
1077	0.097	1611	0.244
1704	0.018	1607	0.200
1705	0.166	1608	0.200
1702	0.318	1053	0.219
1703	0.080	1049	0.060
1692	0.421	1054	0.520
1691	0.080	1055	0.044
1690	0.020	कुल अर्जित भूमि . . 16.789	
1681	0.390	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—धौलपुर-मुरैना मार्ग पर इंटीग्रेटेड चैकपोस्ट बैरियर निर्माण हेतु।	
1688	0.090	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुरैना, जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है।	
1685	0.080	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।	
1689	0.110	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
1683	0.030		
1687	0.100		
1686	0.080		
1684	0.070		
1682	0.120		
1658	0.190		
1659	0.110		
1662	0.091		
1661	0.081		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
छतरपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010	2417/3	0.204
	2418/1/1	0.152
	2418/1/2	0.152
	2418/2	0.224
	2419	0.032
	2420	0.024
	योग .	2.754

क्र. 28अ-82-भू अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—वक्सवाहा
- (ग) नगर/ग्राम—वक्सवाहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.754 हेक्टेयर
  - 1. निजी भूमि 2.754
  - 2. शासकीय भूमि-निरंक

खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)
393, 394	0.120
395/1	0.080
470/1/1	0.029
470/1/2	0.029
477	0.336
478/1/अ	0.324
479	0.08
480	0.060
482	0.064
483/1	0.104
483/2	0.104
486	0.192
2415/1	0.132
2415/2	0.132
2416	0.048
2417/1	0.102
2417/2	0.102

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—वक्सवाहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. एफ.-200-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—अरकंडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.690 हेक्टेयर

खसरा नं.	अधिग्रहीत होने वाला रकबा
(1)	(2)
78/2	0.261
85/1क 1/1क	0.027
85/1क1/1ख	0.307

(1)	(2)	(1)	(2)
85/1क1/1ग	0.025	95/4	0.015
85/1क1/1घ	0.042	95/5	0.001
85/1क1/2	0.209	95/6	0.003
85/1क1/3	0.209	95/7	0.002
85/1क1/4	0.055	95/8	0.009
85/1क1/5	0.027	96/2	0.249
85/1क1/6	0.027	96/3	0.055
85/1क1/7	0.241	96/4	0.025
85/1घ	0.184	96/5	0.025
85/1क2/1	0.011	96/6	0.009
85/1क2/2	0.018	96/7	0.027
85/1क2/3	0.018	96/8	0.008
85/1क3	0.047	96/9	0.010
85/1ख	0.092	96/10	0.010
85/1ग	0.047	109/1	0.002
86	0.021	109/2	0.176
87/1	0.415	112/1क1	0.012
87/2	0.097	112/1क2	0.019
92/1	0.107	112/1क3	0.029
92/2	0.016	112/1क4	0.009
92/3	0.011	112/1ख1	0.013
92/4	0.009	112/1ख2	0.028
92/5	0.006	112/1ख3	0.028
92/6	0.022	112/2	0.136
92/7	0.020	112/3	0.135
92/8	0.011	112/4	0.135
92/9	0.014	112/5	0.135
92/10	0.028	योग . .	4.690
92/11	0.022	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—मैहर मेला क्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु.	
92/12	0.006	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	
93/2	0.627		
95/1	0.080		
95/2	0.011		
95/3	0.015		

क्र. एफ.-201-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)
अनुसूची	191	0.008
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)	197/1	0.280
(क) जिला—सतना	197/2क	0.132
(ख) तहसील—उचेहरा	207	0.120
(ग) नगर/ग्राम—रमपुरवा	208/1क	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.006 हेक्टेयर	208/1/ख/2	0.006
खसरा नं.	अधिग्रहीत होने वाला रकबा	208/1/ख/3
(1)	(2)	208/1/स/1
71	0.160	0.002
72/1क	0.207	0.169
72/1/ख	0.130	0.012
72/2/क	0.100	0.068
72/2/ख	0.090	0.045
72/2/ग	0.250	0.015
73/1	0.012	0.015
73/2/क	0.009	0.008
73/2/ख	0.009	0.007
73/2/ग	0.008	0.007
125	0.023	0.071
128/2	0.004	0.245
129/2	0.013	0.024
130/1क	0.090	योग . <u>4.006</u>
130/1ख	0.043	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु,
130/1ग	0.088	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
130/2	0.093	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
131	0.187	
132	0.004	
133	0.344	
134	0.086	

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्र. 1018-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-दो).—प्रशिक्षण व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय चरण के “Induction Training Programme”, जो दिनांक 6 दिसम्बर 2010 से 24 दिसम्बर 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 6 दिसम्बर 2010 को प्रातः: काल ठीक 9.30 बजे अवश्वमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 6 दिसम्बर 2010 को प्रातः: काल ठीक 9.30 बजे अवश्वमेव उपस्थित होंवें।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंवें।
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस

को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः: काल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें।

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः: काल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं ही कराना होगा। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण पत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. 1089-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर द्वारा विषय “Application of Information and Communication Technology to District Judiciary”, पर छ: दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि दिनांक 29 नवम्बर 2010 से 4 दिसम्बर 2010 तक की अवधि के लिए आयोजित किया जाना था, निरस्त कर दिया गया है रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 988-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी), जबलपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010 के द्वारा निर्देशित न्यायिक अधिकारियों को आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समायोजित किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्र. C-6529-दो-2-16-2002.—श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 22 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 नवम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 5 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6531-दो-2-29-08.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2008 से 22 अक्टूबर 2010 तक की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. C-6590-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 नवम्बर 2010 से 7 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनःपदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6596-दो-2-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 22 से 23 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6600-दो-2-14-2006.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6604-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 21 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-6608-दो-3-33-2006.—श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 15 से 16 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 17 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. C-6644-दो-3-117-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 एवं 3 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6646-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15, 16 एवं 17 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनःस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6648-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनःपदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6650-दो-3-123-2000.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-6652-दो-3-145-2000.—श्री आनन्द मोहन खेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 25 से 30 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित

अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खेरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनःस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खेरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4761-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2010 तक छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपर्योग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्र. E-4534-दो-3-103-2008.—श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2009 से दिनांक 28 दिसम्बर 2009 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 17 मई से 14 जून 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 16 मई 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनःस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्र. C-6602-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 1 से 2 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 से 7 नवम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनःपदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. C-6654-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 12 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.जो.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनःपदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. 1032-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अनिल कुमार मोहनिया	रहली	मण्डलेश्वर	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्र. 1033-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री लखन लाल गर्ग	दतिया	रहली	सागर	सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सागर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-रहली की हैसियत से।

Jabalpur, Dated 18th November 2010

No.B-4772-II-15-4-10 (Ch.).—In exercise of the powers conferred by proviso to Sub-rule (1) of Rule 1 of Madhya Pradesh Civil Courts Rules 1961 and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby extends working hours up to 8 P.M. w.e.f. 26th November 2010 of courts as are specified in Column No. 2 of the table for

the area as specified in Column No. 3 situated at the civil District as specified in Column No. 4 and presided by the Judicial Officer as specified in Column No. 5 thereof:—

TABLE

S.No.	Name of court (2)	Name of Place (3)	Name of Civil District (4)	Name of Judicial Officer (5)
1	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Bhopal	Bhopal	Bhopal	Shri C.M. Garg
2	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Bhopal	Bhopal	Bhopal	Shri Mahesh Bhadkariya
3	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Shri Pankaj Gaur
4	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Amarwara	Amarwara	Chhindwara	Shri Pradeep Mittal
5	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Dewas	Dewas	Dewas	Shri Gajendra Singh
6	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Khandwa	Khandwa	Khandwa	Smt. Ashita Shrivastava
7	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Khandwa	Khandwa	Khandwa	Shri C. P. Kulshreshtha
8	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Gwalior	Gwalior	Gwalior	Shri N. P. Singh
9	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Gwalior	Gwalior	Gwalior	Shri Deepak Kumar Tripathi
10	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Shri N.K. Saxena
11	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Sohagpur	Sohagpur	Hoshangabad	Shri Dilip Kumar Nagle
12	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Indore	Indore	Indore	Shri D.K. Paliwal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Indore	Indore	Indore	Shri Mohd Shamim
14	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Indore	Indore	Indore	Shri S. K. Kulkarni
15	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Indore	Indore	Indore	Shri Rakesh Kumar Singh (Sr)
16	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Shri Upendra Kumar Sonkar
17	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Shri Alok Awasthi
18	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Shri Sunil Kumar Shrivastava
19	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Shri Arun Kumar Verma
20	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Rewa	Rewa	Rewa	Shri R.C.S. Bisen
21	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Rewa	Rewa	Rewa	Shri Rajeev Kumar Singh
22	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Sagar	Sagar	Sagar	Smt. Asha Godha
23	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Satna	Satna	Satna	Shri A. K. Singh (Sr)
24	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Satna	Satna	Satna	Smt. Anuradha Shukla
25	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Maihar	Maihar	Satna	Dr. O.P. Tiwari
26	Additional Sessions Judge (FTC)/ Special Judge (Electricity Act), Astha	Astha	Sehore	Shri Rakesh Kumar Gupta

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Sidhi	Sidhi	Sidhi	Shri A.K. Dwivedi
28	Additional Sessions Judge, Singrauli	Waidhan	Singrauli	Shri Pranesh Kumar Pran
29	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Shri Upendra Kumar Singh
30	Additional Sessions Judge/ Special Judge (Electricity Act), Ujjain	Ujjain	Ujjain	Shri B.P.Sharma

No.B-4774-II-15-4-10 (Ch).—In exercise of the powers conferred by proviso to Sub-rule (1) of Rule 1 of Madhya Pradesh Civil Courts Rules 1961 and all other enabling provisions, the High Court of M.P. hereby extends working hours up to 8 P.M. w.e.f. 26 November 2010 of courts as are specified in Column No. 2 of the table for the area as specified in Column No. 3 situated at the Civil District as specified in Column No. 4 and presided by the Judicial Officer as specified in Column No. 5 of the table thereof:—

#### TABLE

S.No. (1)	Name of Court (2)	Name of Place (3)	Name of District (4)	Name of Judicial Officer (5)
1	Chief Judicial Magistrate Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Shri Ashvaque Ahamed Khan Ist CJ-I & CJM, Principal Magistrate JJB.
2	1-Chief Judicial Magistrate, Bhopal	Bhopal	Bhopal	1. Shri Ram Gopal Singh, Ist CJ-I & CJM
	2-Court of JMFC			2. Smt. Shashi Singh, IIInd CJ-I & JMFC
	3-Court of JMFC			3. Shri D. P. Mishra, VIIIth CJ-I & JMFC Sp. Municipal Magistrate
	4- Court of JMFC			4. Smt. Surekha Mishra, IXth CJ-I & JMFC
	5-Court of JMFC			5. Shri K.K. Shukla, VIth CJ-I & JMFC
	6-Court of JMFC			6. Shri Manoj Kumar Sharma, VIIth CJ-I & JMFC
	7-Court of JMFC			7. Smt. Priti Singh, XIth CJ-I & JMFC, Principal Magistrate, JJB
	8- Court of JMFC			8. Smt. Archana Singh, IIIrd CJ-I & JMFC
3	Chief Judicial Magistrate Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Smt. Philipa Sonjoy Peter, Ist CJ-I & CJM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Chief Judicial Magistrate Dewas	Dewas	Dewas	Smt. Vidhi Saxena, Ist CJ-I & CJM
5	Chief Judicial Magistrate Dhar	Dhar	Dhar	Shri Rajendra Kumar Dasora, Ist CJ-I & CJM, Principal Magistrate, JJB.
6	Chief Judicial Magistrate Khandwa.	Khandwa	Khandwa	Shri D.S. Chouhan, Ist CJ-I & CJM
7	1-Chief Judicial Magistrate Gwalior 2-Court of JMFC 3-Court of JMFC 4- Court of JMFC 5- Court of JMFC 6.Court of JMFC	Gwalior	Gwalior	1. Shri S.K. Agrawal, Ist CJ-I & CJM and Special Magistrate u/s 11 (2) Cr. P.C. 2. Ku. Nivedita Mudgal, VIth CJ-I & JMFC 3. Shri Ajay Kant Pandey, VIIth CJ-I & JMFC 4. Shri Rakesh Kumar Jain, IIInd CJ-I & JMFC, Principal Magistrate, JJB 5. Shri Sudhir Kumar, VIIIth CJ- I & JMFC 6. Smt. Kumudini Patel, Xth CJ-I & JMFC
8	Chief Judicial Magistrate Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Shri Atul Kumar Khandelwal, ICJ-I & CJM
9	1-Chief Judicial Magistrate Indore 2-Court of JMFC 3-Court of JMFC 4-Court of JMFC 5-Court of JMFC 6-Court of JMFC 7-Court of JMFC 8-Court of JMFC 9-Court of JMFC 10-Court of JMFC	Indore	Indore	1. Shri Subhash Solanki ICJ-I & CJM 2. Shri Sanjeev Kumar Gupta, CJ-I/ Nyayadhikari, Gram Nayayalyas, Indore 3. Shri Sameer Kulshrestha, XIth CJ-I & JMFC 4. Shri Rajendra Kumar Shrivyas, VIth CJ-I & JMFC, Principal Magistrate, JJB 5. Ku. Suman Shrivastava, IIIrd CJ-I & JMFC 6. Smt. Vandhana Jain, IIInd CJ-I & JMFC 7. Dr. Smt. Subhra Singh, Xth CJ-I & JMFC, Spl. M. CBI, Eco. Off. 8. Shri Dharmendra Kumar Singh, VIIIth CJ-I & JMFC, Food Adult, Muni. Corp. 9. Shri Ayaz Mohd, XIIth CJ-I & JMFC, Rly. Magistrate 10. Shri Omprakash Bohra, XIIIth CJ-I& JMFC
10	1-Chief Judicial Magistrate Jabalpur 2-Court of JMFC 3-Court of JMFC 4-Court of JMFC 5-Court of JMFC	Jabalpur	Jabalpur	1. Shri Sharat Chandra Saxena, I CJ-I & CJM 2. Shri Sandeep Kumar Shrivastava, VIth CJ-I & JMFC 3. Shri Sunil Kumar Mishra, IIInd CJ-I & JMFC 4. Shri Sanjay Kumar Singh, VIIth CJ-I & JMFC Spl. J, Food Adult, Municipal Corp. 5. Shri Ram Pratap Mishra, XIIIth CJ-I & JMFC, Spl. M. CBI, Eco. Off. (New Court).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6-Court of JMFC			6. Shri Ashish Shrivastava, IIIrd CJ-I & JMFC
	7-Court of JMFC			7. Shri Ramgopal Prajapati, IVth CJ-I & JMFC
	8-Court of JMFC			8. Ku. Savita Jadia, Vth CJ-I & JMFC, Spl. Judge, JJB
11	Chief Judicial Magistrate Katni	Katni	Katni	Shri Anwar Ahmed Ansari, Ist CJ-I & CJM
12	Chief Judicial Magistrate Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Smt. Shashikanta Vaishya, I CJ-I & CJM & Principal Magistrate, JJB
13	Chief Judicial Magistrate, Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Shri Priyadarshan Sharma, Ist CJ-I & CJM
14	Chief Judicial Magistrate, Neemuch	Neemuch	Neemuch	Shri Manoj Kumar Mandloji, Ist CJ-I & CJM Principal Magistrate, JJB
15	Chief Judicial Magistrate, Ratlam	Ratlam	Ratlam	Shri Prashant Kumar Nigam CJ-I & CJM
16	Chief Judicial Magistrate, Rewa	Rewa	Rewa	Shri Kailash Chandra Yadav, Ist CJ-I and CJM
17	Chief Judicial Magistrate, Sagar	Sagar	Sagar	Shri Sunil Kumar Jain (Jr), Ist CJ-I and CJM
18	Chief Judicial Magistrate, Satna	Satna	Satna	Shri Ram Prasad Sonkar, Ist CJ-I and CJM
19	Chief Judicial Magistrate, Sehore	Sehore	Sehore	Shri Lalaram Meena, Ist CJ-I & CJM
20	Chief Judicial Magistrate, Ujjain	Ujjain	Ujjain	Shri Om Prakash Singh Raghuwanshi (Sr.) Ist CJ-I and CJM
21	Chief Judicial Magistrate, Vidisha	Vidisha	Vidisha	Smt. Tripti Sharma, Ist CJ-I and CJM
22	Chief Judicial Magistrate, Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Shri Ashok Kumar Sharma (Jr.-I) Ist CJ-I & CJM

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार, जनरल.

### जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2010

क्र. 1010-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है।

क्रमांक	नाम	कहां से	सारणी		
			कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती कनकलता सोनकर, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.	जबलपुर	कटनी	कटनी	सिविल जिला, कटनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी की हैसियत से श्री गजेन्द्र कुमार महाजन (जूनियर) के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
के.डी. खान, प्रिसिपल रजिस्ट्रार,  
(निरीक्षण एवं सतर्कता).

## राज्य शासन के आदेश

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2010

फा. क्र.-17 (ई)-2009-3835-इकीस-ब (एक) 10.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के लिये ग्राम न्यायालय स्थापित करता है, जो कालम (2) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर है तथा ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र की सीमाएं कालम (5) में विनिर्दिष्ट सीमा तक होगी और ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके (सारणी) कालम (4) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा :—

#### सारणी

अनु. क्रमांक	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम	क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं जिनका क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय की सीमा तक होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	राजस्व तहसील अलीराजपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	
2.	अलीराजपुर	जोबट	राजस्व तहसील जोबट की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	
3.	अनूपपुर	अनूपपुर	राजस्व तहसील अनूपपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	
4.	अनूपपुर	कोतमा	राजस्व तहसील कोतमा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	
5.	अशोकनगर	अशोकनगर	राजस्व तहसील अशोकनगर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	
6.	अशोकनगर	चंदेरी	राजस्व तहसील चंदेरी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	
7.	बालाघाट	बालाघाट	राजस्व तहसील बालाघाट की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।	

















(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	राजस्व तहसील मण्डलेश्वर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।
89.	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव	राजस्व तहसील भीकनगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है।

**नोट.—**उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) के प्रत्येक खण्ड में दर्शाई ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की सीमा के भीतर आने वाली स्थानीय क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 3 and section 4 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, establish Gram Nyayalayas for Panchayat at Intermediate level specified in column (3) of the Table below within the Civil Districts specified in column (2) and the limits of the area to which the jurisdiction of the Gram Nyayalaya shall extend is specified in column (5) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in column (4) thereof :—

#### TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalayas for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya	Local limits of the area to which the jurisdiction of Gram Nyayalaya extends
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Alirajpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
2.	Alirajpur	Jobat	Jobat	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Jobat including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
3.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Anuppur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
4.	Anuppur	Kotma	Kotma	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Kotma including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Ashoknagar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in Column (3) extends.
6.	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Chanderi including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
7.	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Balaghat including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
8.	Barwani	Barwani	Barwani	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Barwani including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
9.	Barwani	Sendhwa	Sendhwa	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sendhwa including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
10.	Betul	Betul	Betul	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Betul including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
11.	Betul	Multai	Multai	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Multai including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
12.	Bhind	Bhind	Bhind	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Bhind including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
13.	Bhind	Lahar	Lahar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Lahar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
14.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Bhopal including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Bhopal	Berasiya	Berasiya	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Berasiya including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
16.	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Burhanpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
17.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Chhatarpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
18.	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Bijawar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
19.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Chhindwara including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
20.	Chhindwara	Pandhurna	Pandhurna	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Pandhurna including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
21.	Damoh	Damoh	Damoh	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Damoh including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
22.	Damoh	Hatta	Hatta	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Hatta including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
23.	Datia	Datia	Datia	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Datia including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
24.	Datia	Seodha	Seodha	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Seodha including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Dewas	Dewas	Dewas	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Dewas including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
26.	Dewas	Kannod	Kannod	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Kannod including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
27.	Dhar	Dhar	Dhar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Dhar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
28.	Dhar	Manawar	Manawar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Manawar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
29.	Dindori	Dindori	Dindori	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Dindori including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
30.	East Nimar Khandwa	Khandwa	Khandwa	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Khandwa including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
31.	Guna	Guna	Guna	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Guna including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
32.	Guna	Chachoda	Chachoda	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Chachoda including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
33.	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Gwalior including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
34.	Gwalior	Dabra	Dabra	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Dabra including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	Harda	Harda	Harda	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Harda including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
36.	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Hoshangabad including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
37.	Hoshangabad	Sohagpur	Sohagpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sohagpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
38.	Indore	Indore	Indore	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Indore including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
39.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Jabalpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
40.	Jabalpur	Patan	Patan	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Patan including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
41.	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Jhabua including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
42.	Jhabua	Thandla	Thandla	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Thandla including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
43.	Katni	Katni	Katni	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Katni including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
44.	Mandla	Mandla	Mandla	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Mandla including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Mandsaur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
46.	Mandsaur	Garoth	Garoth	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Garoth including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
47.	Morena	Morena	Morena	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Morena including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
48.	Morena	Ambah	Ambah	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Ambah including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
49.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Narsinghpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
50.	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Gadarwara including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
51.	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Neemuch including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
52.	Neemuch	Manasa	Manasa	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Manasa including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
53.	Panna	Panna	Panna	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Panna including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
54.	Panna	Pawai	Pawai	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Pawai including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55.	Raisen	Raisen	Raisen	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Raisen including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
56.	Raisen	Bareli	Bareli	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Bareli including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
57.	Rajgarh	Rajgarh	Rajgarh	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Rajgarh including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
58.	Rajgarh	Biora	Biora	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Biora including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
59.	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Ratlam including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
60.	Ratlam	Jaora	Jaora	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Jaora including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
61.	Rewa	Rewa	Rewa	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Rewa including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
62.	Rewa	Sirmour	Sirmour	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sirmour including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
63.	Sagar	Sagar	Sagar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sagar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
64.	Sagar	Khurai	Khurai	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Khurai including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65.	Satna	Satna	Satna	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Satna including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
66.	Satna	Nagod	Nagod	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Nagod including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
67.	Sehore	Sehore	Sehore	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sehore including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
68.	Sehore	Budni	Budni	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Budni including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
69.	Seoni	Seoni	Seoni	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Seoni including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
70.	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Lakhnadon including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
71.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Shahdol including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
72.	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Jaisinghnagar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
73.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Shajapur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
74.	Shajapur	Agar	Agar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Agar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sheopur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
76.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Shivpuri including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
77.	Shivpuri	Karera	Karera	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Karera including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
78.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sidhi including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
79.	Sidhi	Majholi	Majholi	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Majholi including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
80.	Singrauli	Waidhan	Waidhan	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Waidhan including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
81.	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Tikamgarh including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
82.	Tikamgarh	Niwari	Niwari	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Niwari including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
83.	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Ujjain including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
84.	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Mahidpur including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
. 85.	Umaria	Umaria	Umaria	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Umaria including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
86.	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Vidisha including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
87.	Vidisha	Sironj	Sironj	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Sironj including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
88.	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Mandleshwar including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.
89.	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon	Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial jurisdiction of Revenue Tehsil Bhikangaon including other Tehsil, if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3) extends.

**Note.—**The territorial jurisdiction of each Gram Nyayalaya as shown in the each segment of column (5) of above table shall exclude local jurisdiction falling within the limit of Nagar Nigam/Nagar Palika/ Nagar Panchayat.

भोपाल, दिनांक 23/24 नवम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (1) दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 8, 26, 35, 101 और 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“8	बड़वानी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	श्री रविकुमार नायक, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	देवास	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.	श्री गजेन्द्र सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.
35.	पूर्व निमाड़, खण्डवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	श्री सी. पी. कुलश्रेष्ठ, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
101.	सीधी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रथम अतिरिक्त सेशन, न्यायाधीश, सीधी.
103.	टीकमगढ़	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़.	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़”.

F. No. 17 (E)-83-03-XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Departments Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (1), dated 16th September, 2010 namely:—

#### AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table for serial numbers 8,26,35,101 and 103 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 8.	Barwani	IIInd Additional Sessions Judge, Barwani	Shri Ravi Kumar Nayak, IIInd Additional Sessions Judge, Barwani
26.	Dewas	IVth Additional Sessions Judge, Dewas.	Shri Gajendra Singh, IVth Additional Sessions Judge, Dewas.
35.	East Nimar Khandwa	IIInd Additional Sessions Judge, Khandwa	Shri C. P. Kulsheshtha, IIInd Additional Sessions Judge, Khandwa.
101.	Sidhi	Ist Additional Sessions Judge, Sidhi.	Shri Akshay Kumar Dwivedi, Ist Additional Sessions Judge, Sidhi.
103.	Tikamgarh	IIInd Additional Sessions Judge, Tikamgarh.	Shri Upendra Kumar Singh, IIInd Additional Sessions Judge, Tikamgarh”.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

फा. क्र.-17(ई)43-3835-इकीस-ब (एक).—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारी जिनकी पदस्थापना का स्थान कॉलम (3) में दर्शित है, को कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय/न्यायालयों के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय संचालित किये जाने के लिए नियुक्त करता है, जो कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके (सारणी) कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा :—

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का नाम	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री कमलेश कुमार इतवाडिया	जोबट	अलीराजपुर	1. जोबट 2. अलीराजपुर	1. जोबट 2. अलीराजपुर
2	श्री रामजी गुप्ता	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
3	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा
4	श्री केशव मणी सिंधल	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर
5	श्री दिलीप गुप्ता	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी
6	श्री संदीप कुमार पाटिल	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
7	श्रीमगती रेखा आर. चंद्रवंशी	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी
8	श्री आतोक कुमार सक्सेना	सेंधवा	बड़वानी	सेंधवा	सेंधवा
9	श्रीमती दीपिका मालवीय	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
10	श्री जाकिर हुसैन	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
11	श्री रतन कुमार वर्मा	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
12	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनि.)	लहार	भिण्ड	लहार	लहार
13	श्री गंगाचरण दुबे	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
14	श्री आमोद आर्य	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
15	श्री विवेक सक्सेना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
16	श्री प्रदीप कुशवाह	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
17	कु. शारदा नाहटे	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	श्री भूभास्कर यादव	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	1. छिन्दवाड़ा 2. पांडुर्णा	1. छिन्दवाड़ा 2. पांडुर्णा
19	कु. मंजुलता चतुर्वेदी	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह
20	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	हटा	दमोह	हटा	हटा
21	श्री अनिल कुमार छापरिया	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
22	श्री मुकेश कुमार बाथम	सेवढा	दतिया	सेवढा	सेवढा
23	श्री राज कुमार वर्मा	देवास	देवास	देवास	देवास
24	श्री साबिर खान	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
25	श्रीमती सविता सिंह	धार	धार	धार	धार
26	श्री सुनील मालवी	मनावर	धार	मनावर	मनावर
27	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	डिन्डौरी	डिन्डौरी	डिन्डौरी	डिन्डौरी
28	श्री राजेन्द्र चौरसिया	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
29	श्री मुकेश कुमार डांगी	गुना	गुना	1. गुना 2. चाचौड़ा	1. गुना 2. चाचौड़ा
30	श्री रामबरेश (यादव)	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
31	श्री ठाकुर दास	डाबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
32	श्री राजीव के. पाल	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
33	श्रीमती दीपाली शर्मा	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
34	श्री जयदीप सिंह	सोहागपुर	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर
35	श्री संजीव कुमार गुप्ता	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
36	श्री अजय कुमार सिंह	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
37	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि.)	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
38	श्री दिनेश कुमार खटीक	थांदला	झाबुआ	1. थांदला 2. झाबुआ	1. थांदला 2. झाबुआ
39	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
41	श्री अरविन्द कुमार गोयल	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर
42	श्री हेमन्त जोशी	गरोठ	मन्दसौर	गरोठ	गरोठ
43	श्री अरबिन्द कुमार (जैन)	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
44	श्री राम बिलास गुप्ता	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
45	श्री राम सिंह कर्नौजिया	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
46	श्री अशोक कुमार सोंधिया	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
47	श्री राकेश कुमार गोयल	मनासा	नीमच	1. मनासा 2. नीमच	1. मनासा 2. नीमच
48	श्री अरूण कुमार खराडी	पवई	पन्ना	1. पवई 2. पन्ना	1. पवई 2. पन्ना
49	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
50	श्री राजेन्द्र कुमार बाथम	बरेली	रायसेन	बरेली	बरेली
51	श्री प्रह्लाद सिंह केमथिया	ब्यावरा	राजगढ़	1. ब्यावरा 2. राजगढ़	1. ब्यावरा 2. राजगढ़
52	श्रीमती नोरिन निगम	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
53	श्री राजेश नन्देश्वर	जावरा	रतलाम	जावरा	जावरा
54	कु. प्रतिभा साथवने	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा
55	श्री उमा शंकर शर्मा	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
56	श्री बलराम यादव	सागर	सागर	सागर	सागर
57	श्री कृपा शंकर शाक्य	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
58	श्री संजय कुमार पाण्डे	सतना	सतना	सतना	सतना
59	श्री सुजीत कुमार सिंह	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
60	श्री अरूण श्रीवास्तव	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
61	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि.) बुदनी		सीहोर	बुदनी	बुदनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	श्री राजेश कुमार रावतकर	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
63	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
64	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	शहडोल	शहडोल	1. शहडोल 2. जयसिंहनगर	1. शहडोल 2. जयसिंहनगर
65	श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि. 2)शाजापुर		शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
66	श्री वैभव मण्डलोई	आगर	शाजापुर	आगर	आगर
67	श्री अशोक गुप्ता	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
68	श्री मसूद अहमद खान	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
69	श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनि.)	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
70	श्री गालिब रसूल	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
71	श्री दयाराम अहिरवार	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली
72	श्री माखन लाल झोड़	बैढ़न	सिंगरौली	बैढ़न	बैढ़न
73	श्री मुनालाल राठौर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़
74	श्री तरुण राकेश स्टेप्हली	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
75	श्री बलराज कुमार पलोदा	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
76	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर
77	श्री जवाहर सिंह मरकाम	बिरसिंहपुर पाली	उमरिया	उमरिया	उमरिया
78	श्री गंगाचरण शर्मा	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
79	श्री संजय कुमार कस्तवार	सिरोंज	विदिशा	सिरोंज	सिरोंज
80	श्री सुर सिंह कन्नोज	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर
81	श्री के. पी. मरकाम	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

- नोट :—**
- जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हों, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे।
  - न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गुना प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय चाचौड़ा में बैठक करेंगे।
  - न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, उमरिया माह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को ही बैठक करेंगे।

F. No. 17 (E)43-3835-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalaya Act, 2008 (No. 4 of 2009) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Nyayadhikari specified in column (2) whose posting is specified in column (3) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every week for the Gram Nyayalaya specified in column (5), within the Civil Districts specified in column (4), and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in column (6) thereof :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shri Kamlesh Kumar Itvadia	Jobat	Alirajpur	1. Jobat 2. Alirajpur	1. Jobat 2. Alirajpur
2	Shri Ramji Gupta	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
3	Shri Sanjay Pal Singh Bundela	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma
4	Shri Keshav Mani Singhal	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
5	Shri Dilip Gupta	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
6	Shri Sandeep Kumar Patil	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
7	Smt. Rekha R. Chandrawanshi	Barwani	Barwani	Barwani	Barwani
8	Shri Alok Kumar Saxena	Sendhwa	Barwani	Sendhwa	Sendhwa
9	Smt. Dipika Malviya	Betul	Betul	Betul	Betul
10	Shri Zakir Hussian	Multai	Betul	Multai	Multai
11	Shri Ratan Kumar Verma	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
12	Shri Rajendra Kumar Sharma (Sr.)	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
13	Shri Gangacharan Dubey	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
14	Shri Amod Arya	Berasia	Bhopal	Berasia	Berasia
15	Shri Vivek Saxena	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
16	Shri Pradeep Kushwah	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
17	Ku. Sharda Nahte	Bijawar	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar
18	Shri Bhoobhaskar Yadav	Chhindwara	Chhindwara	1. Chhindwara 2. Pandurna	1. Chhindwara 2. Pandurna
19	Ku. Manjulata Chaturvedi	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh
20	Shri Raghuvir Prasad Patel	Hatta	Damoh	Hatta	Hatta
21	Shri Anil Kumar Chhapariya	Datia	Datia	Datia	Datia
22	Shri Mukesh Kumar Batham	Seodha	Datia	Seodha	Seodha
23	Shri Raj Kumar Verma	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
24	Shri Sabir Khan	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
25	Smt. Savita Singh	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Shri Sunil Malvi	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar
27	Shri Surendra Meshram	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
28	Shri Rajendra Chourasia	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
29	Shri Mukesh Kumar Dangi	Guna	Guna	1. Guna 2. Chachoda	1. Guna 2. Chachoda
30	Shri Rambaresh (Yadav)	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
31	Shri Thakur Das	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
32	Shri Rajeev K. Pal	Harda	Harda	Harda	Harda
33	Smt. Deepali Sharma	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
34	Shri Jaideep Singh	Sohagpur	Hoshangabad	Sohagpur	Sohagpur
35	Shri Sanjeev Kumar Gupta	Indore	Indore	Indore	Indore
36	Shri Ajay Kumar Singh	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
37	Shri Rakesh Kumar Singh (Jr.)	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
38	Shri Dinesh Kumar Khatik	Thandla	Jhabua	1. Thandla 2. Jhabua	1. Thandla 2. Jhabua
39	Shri Avinash Chandra Tiwari	Katni	Katni	Katni	Katni
40	Shri Privendra Kumar Sen	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
41	Shri Arvind Kumar Goyal	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
42	Shri Hemant Joshi	Garoth	Mandsaur	Garoth	Garoth
43	Shri Arbind Kumar (Jain)	Morena	Morena	Morena	Morena
44	Shri Ram Bilas Gupta	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
45	Shri Ram Singh Kannojiya	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
46	Shri Ashok Kumar Sondhiya	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara
47	Shri Rakesh Kumar Goyal	Manasa	Neemuch	1. Manasa 2. Neemuch	1. Manasa 2. Neemuch
48	Shri Arun Kumar Kharadi	Pawai	Panna	1. Pawai 2. Panna	1. Pawai 2. Panna
49	Smt Divyangana Joshi Pandey	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
50	Shri Rajendra Kumar Batham	Bareli	Raisen	Bareli	Bareli
51	Shri Prahlad Singh Kameathiya	Biaora	Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh
52	Smt. Norin Nigam	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
53	Shri Rajesh Nandeshwar	Jaora	Ratlam	Jaora	Jaora
54	Ku. Pratibha Sathawane	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa
55	Shri Uma Shanker Sharma	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour
56	Shri Balram Yadav	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
57	Shri Kripa Shanker Shakya	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
58	Shri Sanjay Kumar Pandey	Satna	Satna	Satna	Satna
59	Shri Sujeet Kumar Singh	Nagod	Satna	Nagod	Nagod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	Shri Arun Shrivastava	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
61	Shri Rajesh Kumar Agrawal (Jr.)	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
62	Shri Rajesh Kumar Rawatkar	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
63	Shri Rajdeep Singh Thakur	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
64	Shri Akhilesh Kumar Mishra	Shahdol	Shahdol	1. Shahdol 2. Jaisinghnagar	1. Shahdol 2. Jaisinghnagar
65	Shri Ashok Kumar Sharma (Jr. 2)	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
66	Shri Vaibhav Mandloi	Agar	Shajapur	Agar	Agar
67	Shri Ashok Gupta	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
68	Shri Masood Ahmad Khan	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
69	Shri Sanjay Kumar Gupta (Sr.)	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
70	Shri Galib Rasool	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
71	Shri Dayaram Ahirwar	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi
72	Shri Makhan Lal Jhod	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
73	Shri Munnalal Rathore	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh
74	Shri Tarun Rakesh Stendli	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
75	Shri Balraj Kumar Paloda	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain
76	Shri Rajendra Singh Thakur	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur
77	Shri Jawahar Singh Markam	Birsinghpur Pali	Umaria	Umaria	Umaria
78	Shri Gangacharan Sharma	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
79	Shri Sanjay Kumar Kastwar	Sironj	Vidisha	Sironj	Sironj
80	Shri Sur Singh Kannoj	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar
81	Shri K. P. Markam	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

**Note.—**1. Where there is one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

2. Nyayadhikari Gram Nyayalaya, Guna shall also preside Gram Nyayalaya Chachoda on Monday and Friday falling in first and third week of every month.
3. Nyayadhikari Gram Nyayalaya, Umaria shall preside Gram Nyayalaya at Umaria on Monday and Friday every week.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.